उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ

पत्र सं0: 2015/9264/इला0/इलाहाबाद/95/जे0डी0 दिनांक 03, मई 2015

सेवा में,

ओ0एस0डी0/प्रभारी अधिकारी (त0स0-2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद।

विषय: हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या-G.H-11 पार्ट-। सेक्टर-7 ग्राम-मवैया, तहसील-करछना, जिला-इलाहाबाद (क्षेत्रफल 43978.74 वर्गमीटर) पर दाखिल सामूह आवास भवन मानचित्र की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्रांक-05/प्र0अ0(त0स0-2)जोन-4/2015-16 दिनांकः 18-04-2015

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रांक-05/प्र0अ0(त0स0-2)जोन-4/ 2015-16 दिनांकः 18-04-2015 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण उप निदेशक अग्निशमन सेवा इलाहाबाद परिक्षेत्र इलाहाबाद एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी, इलाहाबाद व अग्निशमन अधिकारी नैनी, इलाहाबाद द्वारा किया गया, निरीक्षणोपरान्त/ परीक्षणोंपरान्त उपलब्ध कराई गई आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया, आख्या बिन्दुवार निम्नवत है:-

भवन की संरचना-

1. कुल भूखण्ड एरिया-43978.74 वर्गमीटर।
2. भू-तल कवर्ड एरिया-**ब्लाक-ए** एण्ड **बी** 1511.653 वर्गमीटर, **ब्लाक-सी, डी, ई** एवं **एफ**- 1293.713 वर्ग मीटर।
3. प्रथम तल से ऊपरी तलों का टिपिकल कवर्ड वर्ग मी0 (प्रत्येक तलवार विवरण)-**ब्लाक-ए** एण्ड **बी**-प्रथम तल-1296.320 वर्गमीटर, द्वितीय तल से 14वें तल तक प्रत्येक तल 1335.20 वर्गमीटर। **ब्लाक-सी, डी**, ई एवं **एफ**- प्रथमतल- 1293.713 वर्गमीटर, द्वितीय तल से 14वें तल तक प्रत्येक तल 1124.280 वर्गमीटर।

5. शॉप एरिया-375.00 वर्गमीटर।
6. क्लब/कम्युनिटी हाल - 526.09 वर्गमीटर।
7. बेसमेन्ट प्रथम कवर्ड एरिया- 3681.000 वर्गमीटर।
8. बेसमेन्ट द्वितीय कवर्ड एरिया- 3681.000 वर्गमीटर।
9. बेसमेन्ट तृतीय कवर्ड एरिया- निल वर्गमीटर।
10. भवन की ऊँचाई-प्रत्येक ब्लाक की ऊंचाई 44.850 मीटर है।
11. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अभियोग एन0बी0सी0 की आवासीय के ग्रुप-A-4 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था-

1. **पहुंच मार्ग**-भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 45.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।
2. **प्रवेश द्वार की चौड़ाई**- 12.00 मीटर जो मानक के अनुसार है।
3. **सेट बैक**- प्रस्तावित भवन का सेट बैक निम्नवत् है:-

   (क) अग्रभाग - 13.000 मीटर
   (ख) पृष्ठ भाग - 13.000 मीटर
   (ग) पार्श्व भाग प्रथम - 13.000 मीटर
   (घ) पार्श्व भाग द्वितीय - 13.000 मीटर

   उपरोक्तानुसार भवन का सेटबैक भवन नियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेगें सेट बैक में किसी भी प्रकार का स्थाई अथवा अस्थाई निर्माण मान्य नहीं होगा। टॉवर से टॉवर एन.बी.सी. -2005 के बिन्दु 8.2.3.1 के अनुसार न्यूनतम चारों तरफ 13.00 मीटर छोड़ा गया है।
4. प्रस्तावित स्थल पर 06 ब्लाक प्रस्तावित है जिनको A to F सम्बोधित किया गया है, जिसमें से A व B की संरचना सामान है तथा C से F तक की संरचना सामान्य है
5. **निकास मार्ग**- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक में 04 स्टेयर केस हैं, जिनमें क्रमशः 02 स्टेयर एवं 02 फायर स्केप है। जिनका ट्रेड 30 सेंमी0, राइजर 15 सेमी0 तथा स्टेयर की चौड़ाई 1.5 मीटर का प्राविधान किया गया है। स्टेयर केस का फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेविलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमाओं के अन्तर्गत है।
6. **रिफ्यूज एरिया का विवरण**- प्रत्येक फ्लैट में बालकनी प्रदान की गई है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें:-

नेशनल बिल्डिंग कोर्ड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थायें पूर्ण की जानी अनिवार्य है:-

1. **भूमिगत टैंक**-भूमिगत टैंक 2,25,000 लीटर क्षमता का 02 अद्द मानक के अनुरूप अपेक्षित है।
2. **पम्प**-दोनों अण्डरग्राण्ड टैंक के पास मेन पम्प 2280 एलपीएम का एक विद्युत व एक डीजल तथा 180 एलपीएम का इलेक्ट्रिक (जॉकी पम्प) मानक के अनुसार अपेक्षित है।
3. **वेटराइजर/डाउनकमर**- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक में वेट राइजर सिस्टम एन0बी0सी0 2005 के मानकों के अनुरूप अपेक्षित है।
4. **होजरील**- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक में होजरील मय लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार अपेक्षित है।
5. प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेण्टस होज केबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फॉयर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0 -13039:1991 के अनुसार अपेक्षित है।
6. **हस्तचालित इलेक्ट्रिक फॉयर एलार्म सिस्टम**- प्रत्येक ब्लाक में मैनुअल आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार अपेक्षित है।
7. **स्व:चालितडिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम**- अपेक्षित नहीं है।
8. **स्व:चालित स्प्रिंकलर सिस्टम**- दोनों बेसमेन्ट में स्व:चालित स्प्रिंकलर सिस्टम एनबीसी मानक के अनुसार अपेक्षित है।
9. **टेरिस टैंक**- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक में टेरिस पर टेरिस टैंक 10,000 ली0 क्षमता का स्थापित कराया जाना अपेक्षित है।
10. **टेरिस पम्प**- अपेक्षित नहीं है।
11. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)**-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन के प्रत्येक ब्लाक में प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार अपेक्षित है।
12. **स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम**-

    (ए) फायर चैक डोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग का नियमानुसार अपेक्षित नहीं है।

(बी) सिस्टम की मैकअप एयर हेतु व्यवस्था अपेक्षित नहीं है।

(सी) स्मोक रिजर्व वायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रेक्शन सिस्टम की तकनीकी विश्लेषण- नियमानुसार आवश्यक है।

13. **प्रेशराईजेशन प्रणाली–**

(1) स्थानों पर प्रेशराइजेशन की गई है व प्रयुक्त होने वाले फैन्स की डक्टिंग इत्यादि–अपेक्षित नहीं है।

(2) प्रेशराइजेशन सिस्टम, डिटेक्शन से इण्टरलॉकिंग–अपेक्षित नहीं है।

14. **मैकेनिकल वेन्टीलेटर–** प्रत्येक बेसमेन्ट में मैकेनिकल वेन्टीलेटर 30 एअर चेंज क्षमता का प्राविधानित कराया जाय।

15. **फॉयर कन्ट्रोल रूम**–फॉयर कन्ट्रोल रूम एनबीसी–2005 पार्ट–4 के एनेक्स बिन्दु–सी–5 के अनुसार स्थापित किया जाना अपेक्षित है।

16. **एग्जिट साईनेज**–सम्पूर्ण भवन के प्रत्येक ब्लाक में एग्जिट साईनेज स्थापित किया जाना अपेक्षित है।

17. **पी0ए0 सिस्टम**–पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन के प्रत्येक ब्लाक में स्थापित किये जाना अपेक्षित है।

18. सेट बैक में पिट एवं बेसमेन्ट के उपर 45 टन लोड वेयरिंग क्षमता का प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

अतः उप निदेशक अग्निशमन सेवा इलाहाबाद परिक्षेत्र–इलाहाबाद व मुख्य अग्निशमन अधिकारी इलाहाबाद एवं अग्निशमन अधिकारी नैनी, की संस्तुति के आधार पर हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या–G.H-11 पार्ट–। सेक्टर–7 ग्राम–मवैया, तहसील–करछना, जिला–इलाहाबाद (क्षेत्रफल 43978.74 वर्गमीटर) पर 1068 आवासीय इकाई का समूह आवास मानचित्र स्वीकृत निर्माण हेतु अग्निशमन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्तानुसार समूह आवास भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोर्ड ऑफ इण्डिया–2005 में उल्लिखित मानकों के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोंपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कराकर उनका निरीक्षण–परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाय एवं समूह आवास भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुरूप रख–रखाव सुनिश्चित कराना आवश्यक होगा

अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

3/5/15

(आर0के0 सिंह)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संयुक्त निदेशक
मुख्यालय फायर सर्विस
उ0प्र0-लखनऊ

प्रतिलिपि-

1. उपनिदेशक, अग्निशमन सेवा, इलाहाबाद परिक्षेत्र-इलाहाबाद को अभिलेखीय रख-रखावसहित आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3. आवेदक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

(आर0के0 सिंह)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संयुक्त निदेशक
मुख्यालय फायर सर्विस
उ0प्र0-लखनऊ